## बशीर खां बनाम बाबू व अन्य

किस्म मुकदमा/अपील–एलआर 75/806 सन् 2020 जिला नागौर

| तारीख हुक्म | हुक्म व कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>2020/00806<br>अपीलार्थी अभिभाषक श्री जी.एस. लखावत | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 11-10-2021 | पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में आगामी पेशी दिनांक 03.11.2021 वास्ते तलबी प्रत्यर्थी सं0 1 हेतु नियत है। अपीलार्थी अभिभाषक श्री जी.एस. लखावत उपस्थित हैं। अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्तें अपील विड्रो दिनांकित 06.10..2021 की प्रति प्रत्यर्थी अभिभाषक को दिलवाई गई। उभय पक्ष अभिभाषक को अपील विड्रो प्रार्थना पत्र पर सुना गया। पत्रावली वास्ते निर्णय रिजर्व रखी जाती है।<br>(डॉ. वीना प्रधान)<br>संभागीय आयुक्त,<br>अजमेर | |
| 21-10-2021 | पत्रावली निर्णयार्थ पेश हुई। अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र वास्तें अपील विड्रो दिनांकित 06.10.2021 में कमोबेस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दौहराते हुये निवेदन किया गया है कि प्रकरण में पक्षकारान के मध्य आपसी समझाईश से राजीनामा हो चुका है जिसके कारण इस प्रकरण में प्रार्थी आगे कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते है तथा ना ही प्रकरण को आगे चलाना चाहते है और प्रकरण का निस्तारण विड्रो के आधार पर इसी स्तर पर करवाने हेतु सहमत है। अतः निवेदन है कि प्रकरण को विड्रो किये जाने का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण विड्रो करने की अनुमति प्रदान कर यह प्रकरण इसी स्तर पर खारिज किया जावे। प्रत्यर्थीगण को भी इस पर कोई एतराज नहीं है।<br>बाद मनन वास्तें अपील विड्रो प्रार्थना पत्र दिनांकित 06.10.2021 जिसके अनुसार प्रार्थी/अपीलार्थी पक्षकारान के मध्य आपसी समझाईश से राजीनामा होने से अपील को आगे नहीं चलाना चाहते है जिससे न्यायहित में विड्रो प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने में कोई संशय नहीं है। अतः प्रार्थी/अपीलार्थी अभिभाषक का अपील विड्रो किये जाने का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। अपील अपीलार्थी द्वारा विड्रो किये जाने के आधार पर इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।<br>(डॉ. वीना प्रधान)<br>संभागीय आयुक्त,<br>अजमेर | |

Scanned with CamScanner